संख्या-53/2020/817/65-2-2020-87(विविध)/2015 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2020

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में **"सुगम्य भारत अभियान" फेज-1** के अन्तर्गत **जनपद-वाराणसी** के **06 चिन्हित भवनों** में दिव्यांगजन के लिये बाधारहित वातावरण के सृजन हेतु निर्माण कार्यों के लिये प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-4-4/2017-ए.आई.सी.(पार्ट-।।।) दिनांक 24.02.2020 (छायाप्रति संलग्न), जिसमें वित्तीय वर्ष 2019-20 में "सुगम्य भारत अभियान" फेज-1 के अन्तर्गत जनपद-वाराणसी के चिन्हित 09 भवनों के सापेक्ष अवशेष रह गयी द्वितीय किस्त की धनराशि निर्गत की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "सुगम्य भारत अभियान" फेज-1 के अन्तर्गत जनपद-वाराणसी के चिन्हित 09 भवनों के सापेक्ष 03 भवनों के सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि शासन द्वारा पूर्व में निर्गत की जा चुकी है। अत: उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 में **"सुगम्य भारत अभियान" फेज-1** के अन्तर्गत **जनपद-वाराणसी** के अवशेष **चिन्हित 06 भवनों** में दिव्यांगजन के लिये बाधारहित वातावरण के सृजन के संबंध में प्रस्तावित निर्माण कार्यों हेतु **उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (UPPCL) को कार्यदायी संस्था** नामित करते हुये इन 06 भवनों के कार्यों हेतु **निम्नानुसार** उनके सकल लागत रू0 3,67,00,000/- (रूपये तीन करोड़ सड़सठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रत्येक भवन हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष **शत-प्रतिशत** की स्वीकृतियॉ निर्गत करते हुये **कुल धनराशि रू0 3,67,00,000/- (रूपये तीन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)** व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	भवन का नाम	स्वीकृत लागत (रूपये में)	**अवमुक्त की जा रही धनराशि (रूपये में)**
1	नगर निगम मुख्यालय, वाराणसी	70,79,000/-	**70,79,000/-**
2	संस्कृत सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी	97,71,000/-	**97,71,000/-**
3	लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय, रामनगर, वाराणसी	68,37,000/-	**68,37,000/-**
4	महिला पुलिस थाना महानगर, वाराणसी	25,58,000/-	**25,58,000/-**
5	महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	70,64,000/-	**70,64,000/-**
6	थाना सारनाथ, वाराणसी	33,91,000/-	**33,91,000/-**
	योग	**3,67,00,000/-**	**3,67,00,000/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उपर्युक्त अवमुक्त की जाने वाली धनराशि निम्न शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

(i) धनराशि का व्यय/अन्य कार्यवाहियॉ भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक 24.02.2020 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा। **कार्य का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।**

(ii) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराये जाने तथा कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टयों का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(iii) धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार व नियमानुसार किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(iv) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/ बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखी जायेगी।

(v) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न वर्तमान में किसी अन्य कार्य योजना में शामिल नहीं है।

(vi) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 का होगा।

(vii) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य कराये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(viii) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कर कराये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(ix) प्रश्नगत प्रायोजना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग एवं कार्यदायी संस्था का होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृति के संबंध में किये जाने वाले व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप हों।

(x) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जाये एवं इस संबंध में रिपोर्ट तथा कार्यों के प्रगति व उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्रेषित की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(xi) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार कराये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xii) स्वीकृत धनराशि पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiii) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(xiv) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(xv) प्रायोजना लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

4. उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-04-"सुगम्य भारत अभियान" योजनान्तर्गत सरकारी कार्यालयों एवं जन उपयोगी भवनों को चिन्हित कर बाधा रहित बनाया जाना (के.100/रा.0-के.)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में विहित प्रावधानों एवं प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव।

संख्या-53/2020/817(1)/65-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव/संयुक्त सचिव/अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 5वॉ तल, पॅ0 दीनदायल अन्त्योदय भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003 ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. महालेखाकार, लेखा-परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. जिलाधिकारी, वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0 (UPPCL), लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. मण्डलीय उप निदेशक/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, वाराणसी।

8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1।

9. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।

10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।